न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान

गोपीलाल बनाम मांगीलाल

किस्म मुकदमा धारा - 223 मि.नं. 38/2020 सन

अभिभाषक अपीलान्ट श्री सी.पी. खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री पदमेन्द्र शर्मा R-10, श्री रामदयाल सोन R-1/1 ल० 1/6 व 2 ल० 5

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
03-07-23	पत्रावली वास्ते अभिभाषक अपीलांट तथा अपीलांटगण के अपील विड्रो करने बाबत प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट तथा अपीलांटगण 1 ल० 3 ने उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये जिन्हे अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रमाणित किया गया। अपीलांटगण उक्त अपील मे आगामी कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। अपीलांट नं. 4 की मृत्यु हो चुकी है। इस बाबत उन्होने मृत्यु प्रमाणपत्र पेश किया जो शा० फा० रहे। अभि० अपीलांट तथा अपीलांटगण 1 ल० 3 का अपील विड्रो प्रार्थनापत्र न्यायहित में स्वीकार कर अपील विड्रो खारिज की जाती है। पत्रावली पैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) डॉ. अनुपमा टेलर भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	(मुहर: भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★)

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन आर ए ए ,कोटा

गोपीलाल आत्मज हीरा जाति गुर्जर निवासी गंगपुरा तहसील पचपहाड जिला झालावाड (मृतक) कायम मुकामानः–

1. दिनेश पुत्र गोपीलाल
2. मनोहर लाल पुत्र गोपीलाल
3. दयाराम पुत्र गोपीलाल
4. धापू वाई पत्नी स्वर्गीय गोपीलाल

जाति गुर्जर निवासीगण गंगपुरा तहसील पचपहाड जिला झालावाड

-- अपीलान्ट

बनाम

1. मांगीलाल आत्मज नन्दा (मृतक) जरिये कायम मुकामानः–

1/1. कालू आत्मज मांगीलाल

1/2. गोपाल आत्मज मांगीलाल

1/3. कन्या वाई पुत्री मांगीलाल

1/4. राधा वाई पुत्री मांगीलाल

1/5. रूकमणी वाई पुत्री मांगीलाल

1/6. शैतान बाई पत्नी मांगीलाल

अकवाम जाति गुर्जर निवासीगण गंगपुरा तहसील पचपहाड जिला झालावाड

2. प्यार जी आत्मज नन्दा
3. प्रभूलाल आत्मज नन्दा
4. घाँसी लाल आत्मज नन्दा
5. पूरालाल आत्मज नन्दा
6. कन्हीराम आत्मज देवा
7. सालगराम आत्मज देवा

सम्मन 8. मोहनलाल आत्मज देवा

सम्मन 9. बालचन्द आत्मज देवा

अकवाम जाति गुर्जर निवासीगण गंगपुरा तहसील पचपहाड जिला झालावाड

वकालतनामा 10. इस्माईल भाई आत्मज रसूल बोहरा निवासी भवानीमण्डी जिला झालावाड

11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड जिला झालावाड

—— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश फाईनल डिक्री दिनांक 15.01.19
एवं फाइनल डिक्री दि. 19-2-19
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भवानी मण्डी

प्रकरण संख्या 52/18

बउनवान मांगीलाल बनाम कन्हीराम

अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

मान्यवर,

अपीलान्ट निम्ननिवेदन करते है:—

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि विवादित आराजी ग्राम गंगपुरा तहसील पचपहाड की कुल 14 बीघा 11 बिस्वा आराजी के मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री पारित की गयी थी। माननीय न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण को इस दिशा निर्देश के साथ रिमान्ड किया कि पक्षकारो की साक्ष्य लेकर तनकीवार पुनः निर्णय पारित करे एवं दिनांक 28.03.18 अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने हेतु तारीख दी गयी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में सहमति पक्षकारान दिनांक 22.06.18 को लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण कर दिया। परन्तु मुताबिक प्रारम्भिक डिक्री अधीनस्थ न्यायालय ने फाईनल डिक्री जारी नही की इसलिये अपीलान्ट फाईनल डिक्री दिनांक 15.01.19 के विरूद्ध निम्न आधार पर माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करते है :—

1. यह कि आदेश एवं डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है। जो निरस्त योग्य है।